न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 104/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार जायल।		रामकरण पुत्र जयनारायण कौम सुनार निवासी सोनेली तहसील जायल।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री ठाकुर प्रसाद राठी।

निर्णय दिनांक : 17-10-2019

प्रार्थी तहसीलदार जायल ने यह राजस्व मामला आवेदन राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 488 में से 25 बीघा भूमि आवंटन अप्रार्थी को किया जाना तथा उक्त 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण संख्या 58/92 सरकार बनाम रामकरण दर्ज कर तत्पश्चात दिनांक 20.12.1996 को तहसीलदार जायल के प्रार्थना पत्र प्रस्ताव को स्वीकार कर ग्राम रातंगा के खसरा नम्बर 488 में से 3 बीघा भूमि का अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 20.12.1996 के विरूद्ध अप्रार्थी रामकरण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अपील संख्या 35/2008 रामकरण बनाम राज0 सरकार में निर्णय दिनांक 13.07.2012 से प्रकरण निर्देशों के साथ पुनः न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को रिमाण्ड किया गया। उक्त प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपने पत्रांक–एडीएम/कोर्ट/726 दिनांक 24.07.2014 द्वारा इस न्यायालय को भिजवाया गया, पर यह राजस्व मामला संख्या–104/2014 दर्ज किया गया।

हस्तगत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 06.04.2015 के अनुसार तहसीलदार जायल से आवंटन/नियमन पत्रावली संख्या 219/71 सरकार बनाम रामनारायण पुत्र जयनारायण निर्णय दिनांक 29.09.73 की मूल पत्रावली चाही गई, परन्तु वर्ष 2015 से वर्तमान तक लगातार तहसीलदार जायल को उक्त मूल पत्रावली भिजवाने हेतु लिखे जाने के बावजूद मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई, जिस पर उक्त मूल पत्रावली की तलबी बंद की जाकर प्रकरण में वकुलाय की बहस अंतिम सुनी गई।

राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा रातंगा के सरकारी खसरा नम्बर 488 में से 25 बीघा भूमि अप्रार्थी रामकरण को वर्ष 1974 में आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि जो खसरा नम्बर 490 के चिपता हुआ है तथा खसरा नम्बर 490 की भूमि 9.19 बीघा भूमि के साथ एक चक बना हुआ है कब्जा कास्त शुरू से ही अलौटी अप्रार्थी रामकरण का नहीं होकर चनणी बेवा पूर्णाराम व उसका ससुर उमाराम पुत्र सुरताराम भाम्बी सा. रातंगा का रहा है। इस प्रकार आवंटी अप्रार्थी रामकरण का मौके पर कब्जा कास्त नहीं होने से पूर्व में आवंटित 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि का आंवटन काबिल खारिज है। राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी रामकरण के नाम से 25 बीघा भूमि दर्ज है जबकि उक्त भूमि में से 3 बीघा भूमि पर अप्रार्थी रामकरण का कब्जा कास्त नहीं होने से उक्त 3 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री ठाकुर प्रसाद राठी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी रामकरण को विवादित कृषि भूमि 25 बीघा का भूमि का आंवटन तहसीलदार जायल द्वारा सर्व प्रथम सन 1967 में तीन साल के लिए तथा तत्पश्चात राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन की विधिक प्रकिया की पालना करते हुए भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पुनः आवंटन किया गया था। कृषि भूमि आवंटन की सभी शर्तो का पालन करने और आंवटन की 10 वर्षीय समय सीमा समाप्ती के पश्चात अप्रार्थी रामकरण को विवादित भूमि का गैर खातेदार से खातेदार घोषित कर जरिए नामान्तरकरण संख्या 249 राजस्व अभिलेख में दिनांक 20.10.1977 को

कलक्टर, नागौर

खातेदार दर्ज कर दिया। अप्रार्थी रामकरण वर्ष 1977 से राजस्व अभिलेख में बतौर रेकार्डेड खातेदार दर्ज है इसलिए खातदेारी अधिकार मिलने के पश्चात राजस्थान भू राजस्व (कृर्षि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अदालत हाजा सक्षम नहीं है। नियम 14(4) उसी दशा में कार्यवाही पोषणीय है जब भू आवंटन छल और मिथ्या वर्णन करके, नियमो के विरूद्व और भूमि आवंटन नियमो की शर्तो का उल्लघंन कर किया गया हो। अप्रार्थी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है क्योंकि भू आवंटन नियमों व शर्तो की पालना करने पर ही अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रदत किये गये है। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) के अन्तर्गत जिला कलक्टर कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है जैसा कि 1986 आर. आर.डी. पेज 137, आर.आर.डी. 1987 पेज 359 व पेज 371, आर.आर.डी. 1988 पेज 689, आर.आर.डी. 2001 पेज 377, आर.आर.डी. 2007 पेज 713 एवं आर.आर.डी. 2008 पेज 454 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

प्रार्थी का आवेदन पत्र में यह कथन करना कि एलोटि अप्रार्थी रामकरण का 25 बीघा में से 3 बीघा भूमि जो खसरा नम्बर 490 के चिपता हुआ है तथा खसरा नम्बर 490 की भूमि 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि के साथ एक चक बना हुआ है पर कब्जा काश्त शुरू से एलोटी रामकरण का न होकर चनणी बेवा पूर्णाराम एवं उसका ससुर उमाराम का होने से आवंटन निरस्त कर रेकर्ड दुरूस्त किया जाय। प्रार्थी का उक्त कथन गलत होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि अप्रार्थी रामकरण को 25 बीघा कृषि भूमि सन 1967 में तहसीलदार द्वारा 3 साल के लिए तत्पश्चात 1974 में कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिक प्रकिया अपनाने के पश्चात आवंटन की गई थी। अप्रार्थी का शांति पूर्वक निर्बाध रुप से कब्जा काश्त आवंटन तिथि से लगातार 47 वर्षो से 25 बीघा व 22 बीघा पर आज दिन तक रहता चला आ रहा है। जिसकी पुष्टि गिरदावरी संवत 2021 से 2070 से होती है।

अप्रार्थी को आवंटित 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि पर चनणी पत्नि पूर्णाराम व उसका ससुर उमाराम पुत्र सुरताराम भांबी निवासी रातंगा का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है। जिसकी पुष्टि प्रस्तुत गिरदावरी संवत 2021 से 2070 से होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय मौखिक साक्ष्य गवाह जगदीश, रामदेव, कानूडी, सेवाराम, चनणी एवं एक पक्षीय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 8.12.1991 उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले में बहुत कमजोर साक्ष्य होने से इन साक्ष्यो पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए यह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है। एक पक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 8.12.1991 में अप्रार्थी रामकरण को खसरा नम्बर 488/1 रकबा 25 बीघा भूमि का खातेदार दर्ज होना व जिन्स बाजरी 15 बीघा तिल 10 बीघा गिरदावरी में दर्ज होना बताया गया है। जहां तक खसरा नम्बर 488 की 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि जो खसरा नम्बर 490 के चिपता हुआ तथा खसरा नम्बर 490 की 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि के साथ चक बनता हुआ का प्रश्न है के संबंध में यह निवेदन है कि खसरा नम्बर 488 का कुल रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा है तथा खसरा नम्बर 490 का रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा है यदि दौराने सेटलमेन्ट दोनो खसरो के रकबा में घटत बढ़त हुई है तो प्रकरण रेकर्ड दुरूस्ती का बनता है न कि नियम 14(4) का। रेकर्ड दुरूस्ती के लिए चनणी एवं उमाराम द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराज्योही करनी चाहिए जिसके लिए वह स्वतंत्र है इसलिए चूंकि अप्रार्थी पक्षकार के अधिकारो को विवादित कर रहे है जिसके लिए चनणी आदि को उचित अनुतोष के लिए सक्षम न्यायालय में वाद करना चाहिए और वहां से अपना अनुतोष प्राप्त करना चाहिए जैसा कि 2007(1) डी.एन.जे. (राजस्थान) पेज 231 पर सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

प्रार्थी ने बेकडोर एन्ट्री से चनणी एवं उमाराम की कब्जा काश्त बताकर उन्हें लाभ पहुंचाने की नीयत से गलत रुप से नियमों से परे होकर यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने किस आधार पर किसके आवेदन पर नियम 14(4) में प्रकरण बनाकर प्रस्तुत किया है यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है।

सर्व प्रथम तहसीलदार जायल द्वार वर्ष 1967 में अप्रार्थी को भूमि का आवंटन 3 साल के लिए किया गया था तत्पश्चात भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वर्ष 1974 में किया गया था। तहसीलदार जायल ने दिनांक 7.8.1992 को आवंटित भूमि को निरस्त करने का आवेदन पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। यानि प्रार्थी ने 25 साल पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अप्रार्थी को जरिए नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 8/20 अक्टूबर 1977 को खातेदारी अधिकार मिल गये थे तभी से निरन्तर अप्रार्थी रामकरण अभिलेख में बतौर रेकार्डेड खातेदार दर्ज है इस प्रकार इतने 25 साल

कलक्टर, नागौर

विलम्ब के बाद आवंटन खारिज नहीं किया जा सकता जैसा कि आर.आर.डी. 2009 पेज 177 एवं आर. आर.डी. 2007 पेज 733 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

अप्रार्थी रामकरण के नाम जमाबन्दी में खातेदारी दर्ज हो चुकी है यानि अप्रार्थी रामकरण एक रेकार्डेड खातेदार है। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात नियम 14(4) में किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2012 मे द्वारा अदालत हाजा का आदेश दिनांक 20.12.1996 को अपास्त कर दिया है इसलिए आदेश दिनांक 20.12.1996 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 755 स्वतः ही निरस्त हो चुका है। उपर्युक्त कारणो को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 7.8.1992 को निरस्त फरमाया जावे तथा 3 बीघा भूमि को खातेदारी में पुनः अप्रार्थी रामकरण के नाम दर्ज करने के आदेश प्रार्थी तहसीलदार को प्रदान कराने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आर.आर.डी. 2007 पेज 733–736, आर.आर.डी. 14.03.2009 पेज 177–179, डी.एन. जे. 2001(1)(राज.) पेज 231–233, आर.आर.डी. 1986 पेज 137–139, आर.आर.डी. 1987 पेज 359–360, आर.आर.डी. 1987 पेज 371–372, आर.आर.डी. 1988 पेज 689–690, आर.आर.डी. अगस्त 2001 पेज 377, आर.आर.डी. 2007 पेज 713–716 एवं आर.आर.डी. 2008 पेज 454–458 न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में तहसीलदार जायल ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत धारा 14(4) के तहत यह मामला पेश कर मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 488 में से 25 बीघा भूमि का वर्ष 1974 में आवंटन किया जाना अवगत कराया तथा उक्त 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि, जो खसरा नम्बर 490 के चिपता हुआ चक है, उस पर कब्जा काश्त शुरू से ही अलोटी रामकरण का नहीं होकर चनणी बेवा पूर्णाराम व उसका ससुर उमाराम पुत्र सुरताराम भाम्बी साकिन रातंगा का होना अवगत कराते हुए उक्त 25 बीघा भूमि में से 3 बीघा भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नही के आधार पर आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया है। उक्त तीन बीघा भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने बल्कि चनणी बेवा पुर्णाराम व उसका ससुर उमाराम पुत्र सुरताराम का कब्जा काश्त होने के संबंध में गवाह जगदीश पुत्र गोपालदास, रामदेव पुत्र गोपाराम मेघवाल, कानूड़ी पुत्री किशनाराम मेघवाल, सेवाराम पुत्र ईशरराम जाट, चनणी बेवा पूर्णाराम भाम्बी निवासीगण रातंगा के बयान भी प्रस्तुत किये गये है।

हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि का आवंटन वर्ष 1974 में अप्रार्थी को किया गया है एवं तहसीलदार जायल द्वारा उक्त आवंटित भूमि में से 3 बीघा भूमि का आवंटन को निरस्त कराने हेतु सर्वप्रथम आवेदन वर्ष 1992 में अर्थात 16 वर्ष पश्चात पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 249 ग्राम रातंगा तहसील जायल के अनुसार राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 वर्ष पूर्ण होने पर व आवंटन नियमों का पालन करने पर खातेदारी हक देने के संबंध में 20.10.1977 को सरंपच ग्राम पंचायत सोनेली द्वारा उक्त नामान्तरकरण सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार हो गया है।

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2007 पेज–733–737 राज0 राज्य बनाम भंवर लाल प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.11.2006 के बिन्दु संख्या–7 में उल्लेखित किया है कि *"विवादित आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय ए.आई.आर.1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ है तो भी इतनी लम्बी अवधि के आवंटन को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ (Travesty of Justice) है। यह मामला बहुत पुराना है ओर इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदारी काश्तकार से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना वापस लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा।"* इसी प्रकार आर.आर.डी. 1987 पेज 359 बालुराम बनाम भूराराम प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 30.06.1987 में बिन्दु संख्या 5 में उल्लेखित किया है कि *"I am , of the view that after conferment of the Khatedari rights on the allotted land the allotment cannot be cancelled under rule 14(4) of the Allotment Rules. In my opinion after having conferred Khatedari rights the allottee becomes khatedar tenant and he acquires valueable rights in the allotted land under the Rajasthan Tenancy Act. From these rights he cannot be divested except in accordance with the provisions of the Rajasthan Tenancy Act. In this connection I find support from the ruling 1986 RRD 137."* हस्तगत प्रकरण

में अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये वर्तमान तक लगभग 45 वर्ष हो चुके है तथा अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा आवंटिती ने आवंटन की शर्तों को भंग किया हो, ऐसी स्थिति में ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है, परन्तु ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नहीं आया है, जिससे की उक्त आवंटन को निरस्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत यह राजस्व मामला आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार जायल को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2019.11.22 16:17:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: